भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध
संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.

संख्या: आर-11014/15/2012-एनटी(पार्ट) दिनांक 08 जून, 2015

कार्यालय ज्ञापन

दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन (ओ एम) के अधिक्रमण में, यह निर्णय किया गया है कि इस कार्यालय ज्ञापन के जारी किए जाने की तारीख से छः माह की अवधि के लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और प्राइवेट प्रयोक्ताओं के केप्टिव इस्तेमाल, प्रसारण तथा केप्टिव वीसेट के उपग्रह नेटवर्कों, वाणिज्यिक उपग्रह इस्तेमाल (डीएसएनजी/वाणिज्यिक वीसेट/टेलीपोर्ट/डीटीएच/एनएलडी/आईएलडी/एचआईटीएस/आईएनएमएआरएसएटी आदि) के लिए प्रशासनिक मूल्य निर्धारण के द्वारा प्रशासनिक रूप से स्पेक्ट्रम का आवंटन निम्नवत जारी रखा जाएगा:

(क) वार्षिक स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार जो दिनांक 22 मार्च, 2012 के आदेश संख्या: पी-11014/34/2009-पीपी(I), (II), (III), (IV) के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से लागू हैं, को जब तक कि केप्टिव प्रयोक्ताओं के लिए स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिए जाने तक वसूल करना जारी रखा जाएगा ;

(ख) वाणिज्यिक वीसेट के लिए स्पेक्ट्रम प्रभार के लिए स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिए जाने तक दिनांक 16 अप्रैल, 2003 के आदेश संख्या: आर-11014/9/2001-एलआर के अनुरूप वसूल किए जाएंगे ।

2. प्रशासनिक मूल्य निर्धारण के द्वारा प्रशासनिक रूप से स्पेक्ट्रम का आवंटन निम्नवत शर्तों के साथ और आवेदकों से यह वचन प्राप्त करके किया जाएगा कि वे इन शर्तों के साथ आवृत्तियों के आवंटन के लिए सहमत होंगे:-

(i) स्पेक्ट्रम का आवंटन अनन्तिम है और यह स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण पर सरकार के निर्णय के मद्देनज़र होगा;

(ii) केवल नीलामी प्रक्रिया की मार्फत स्पेक्ट्रम के आवंटन के संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने की स्थिति में स्पेक्ट्रम के अनन्तिम आवंटन को वापस लिया जाएगा;

(iii) स्पेक्ट्रम के अनन्तिम आवंटन को वापस लिए जाने की स्थिति में स्पेक्ट्रम प्रभारों के रूप में अथवा उनके किसी भाग के रूप में किए गए भुगतान को वापस नहीं किया जाएगा;

(iv) स्पेक्ट्रम के अनन्तिम आवंटन को वापस लिए जाने की स्थिति में संबंधित बेतार प्रयोक्ता उस बेतार उपकरण रखने या उस उपकरण को डीपीएल धारक को वापस करने के लिए गैर डीलर पॉसेशन लाइसेंस (एनडीपीएल) प्राप्त करेंगे या उनका निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटान किया जाएगा;

पृ॰ 2 पर ।

संख्या: आर-11014/15/2012-एनटी(पार्ट) दिनांक 08 जून, 2015

(v) संबंधित बेतार प्रयोक्ताओं को वचन देना होगा कि वे स्पेक्ट्रम के अनन्तिम आवंटन के लिए आशय पत्र (एलओआई) की तारीख से, बाजार संबंधी कार्यपद्धति या अन्यथा की मार्फत जैसा भी लागू हो, अंतिम रूप से निर्धारित संशोधित स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान करेंगे।

3. इसके अलावा, वाणिज्यिक उपग्रह इस्तेमाल (डीएसएनजी/वाणिज्यिक वीसेट/टेलीपोर्ट/डीटीएच/एनएलडी/आईएलडी/एचआईटीएस/आईएनएमएआरएसएटी आदि) के संबंध में स्पेक्ट्रम के आवंटन/सौंपे जाने से पहले आवेदकों से एक अतिरिक्त वचन भी लिया जाएगा कि वे स्पेक्ट्रम के अनन्तिम आवंटन के लिए आशय पत्र की तारीख से, बाजार संबंधी कार्यपद्धति या अन्यथा की मार्फत जैसा भी लागू हो, अंतिम रूप से निर्धारित संशोधित स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान करेंगे।

4. प्रशासनिक आवंटन से नीति में बदलाव/परिवर्तन होने की स्थिति में, समुचित व्यवस्था करने का समय देने के लिए ऐसे परिवर्तन के 3 माह का नोटिस दिया जाएगा और बेतार प्रयोक्ताओं द्वारा उसका अनुपालन किया जाएगा।

5. उपर्युक्त पैरा 2, 3 और 4 में उल्लिखित उपरोक्त शर्तों को आशय पत्र (एलओआई), लाइसेंस प्रदान करने के निर्णय (डी/एल) तथा बेतार प्रचालन लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) में भी शामिल किया जाएगा।

(वीरेश गोयल)
उप वायरलेस सलाहकार

प्रतिलिपि:

1. सभी संबंधित
2. बेतार वित्त डिवीजन
3. बेतार अनुश्रवण संगठन
4. निदेशक, आईटी, दूरसंचार विभाग, इसको दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. डीडब्ल्यूए (एएसएमएस), इसे डब्ल्यूपीसी शाखा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

पृ० 2 का 2